आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 186/2024 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह

हाल निवासीगण फ्लेट नम्बर टी–3, तृतीय तल, प्लाट नम्बर 209, यश अपार्टमेन्ट पटेल नगर, कल्याणपुरा सांगानेर जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

केनफिन होम्स लि॰ शाखा गीजगढ टॉवर, जयपुर ।

अप्रार्थी वित्तीय संस्था

रिव्यु प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 652/2023 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी केनफिन होम्स लि॰ बनाम मीरा सिंह आदेश दिनांक 05.09.2023 को खारिज किये जाने।

उपस्थित–

1. श्री संजय श्रीवास्तव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 06.06.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 652/2023 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी केनफिन होम्स लि॰ बनाम मीरा सिंह में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी बैंक द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपा कर मान्य न्यायालय को भ्रमित करने के उद्वेश्य एवं अवांछनीय लाभ उठाने के उद्वेश्य से उक्त धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य यह है कि मिन प्रार्थीगण के द्वारा समय समय पर काफी किश्त राशि अप्रार्थी वित्तीय संस्था को जमा कराई गई है परन्तु अप्रार्थी संस्था के द्वारा मन मानीपूर्ण तरीके से मिन प्रार्थीगण के विरूद्व शास्ती एवं अन्य व्याज की राशि लगा कर मिन प्रार्थीगण के द्वारा मूल ऋण राशि में से 3/4 वा राशि लगभग 10,00,000/–रूपये का भुगतान मिन प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

संस्था को किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की गाइड लाईन की पालना ना करते हुए लगभग तीन गुना बकाया ऋण राशि मिन प्रार्थीगण के विरूद्व बकाया निकाल कर उसको अवांछनीय रूप से वसूल करने के कुत्सित उद्वेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपा कर प्रस्तुत कर उक्त आदेश दिनांक 05.09.2023 प्राप्त किया गया है जिसका पुनरावलोकन प्रकरण के वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किये जाने एवं परिक्षण किये जाने के उपरान्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि मिन प्रार्थीगण अप्रार्थी वित्तीय संस्था के द्वारा की जा रही विधि विरूद्व अवैद्य वसूली से बच सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बनाया गया है परन्तु किसी प्रकार का कोई भी सम्मन या नोटिस मान्य न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु एवं उक्त प्रार्थना पत्र में अपना पक्ष रखने हेतु मिन अप्रार्थीगण को प्रेषित नहीं किया गया है ना ही प्राप्त हुआ है जो कि एक गम्भीर कानूनी भूल है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष रखने का न्यायोचित अवसर न्याय हित में दिया जाना चाहिये जो मिन प्रार्थीगण को उपलब्ध नही कराया गया । उक्त आदेश की जानकारी मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिकारियों द्वारा मिन प्रार्थीगण के मकान पर कुर्क करने के लिए माह अप्रेल 2024 मे आने पर हुई । तदुपरान्त मिन प्रार्थीगण के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन किया गया जिस पर दिनां क01.05.2024 को प्राप्त हुई । अतः आदेश दिनांक 05.09.2023 को पुनर्राविलोकन किया जाकर मिन प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के आदेश फरमावे।

5- अप्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि धारा 14 सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत पारित आदेश को रिकाल व रिव्यु किये जाने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को हासिल नहीं है। इसके सम्बन्ध में कई न्यायिक दृष्टान्त भी माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये है। जहां तक श्रीमान के आदेश 05.09.2023 रिकाल किये जाने की कार्यवाही का प्रश्न है तो उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल है। इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष जो रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश किये जाने पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का जरिये सम्बन्धित पुलिस कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

05.09.2023 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी के रिव्यु प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर